I/185354/2024

बिहार सरकार
<u>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</u>

पत्रांक–प्र07,एल0पी0जी0(विविध)–01 / 2024 / खाद्य,पटना / दिनांक–

प्रेषक,

उपेन्द्र कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– **पेट्रोल एवं डीजल को निर्धारित मात्रा से कम देने, अपमिश्रण एवं अनाचार (Malpractices) को रोकने हेतु पेट्रोल पम्पों का नियमि निरीक्षण कराने एवं दोषी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक–155 दिनांक–12.01.2010, पत्रांक–5477 दिनांक– 09.06. 2011 एवं पत्रांक–1927 दिनांक–02.05.2020**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–14.10.2024 को विभागीय सचिव की अध्यक्षता में विभागीय साप्ताहित समीक्षा बैठक में राज्य अन्तर्गत पेट्रोल पम्पों की समीक्षा के क्रम में राज्य के पेट्रोल पंपों में शौचालय की समुचित व्यवस्था और वह आमजनों के लिए सुलभ है या नहीं की जाँच कराते हुए तदालोक में व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु निदेशित किया गया है।

पेट्रोल एवं डीजल एक आवश्यक वस्तु है जिसे आम जनता को सही गुणवत्ता में निर्धारित दर पर सही मात्रा में उपलब्ध कराया जाना है। वर्त्तमान परिदृश्य में पेट्रोल एवं डीजल परिवहन के मुख्य ईंधन है जिसका सरकारी, निजी एवं व्यापारिक वाहनों में उपयोग किया जाता है। आम जनता को निर्धारित दर पर सही गुणवत्ता और मात्रा में पेट्रोल/डीजल उपलब्ध कराना सरकार का मुख्य उद्देश है। पेट्रोल पम्पों द्वारा मुनाफाखोरी करने के लिए मिलावटी पेट्रोल/डीजल, डीसपेंनसिंग पम्प के मीटर में हेरा फेरी कर कम मात्रा में आपूर्ति, ब्रांडेड उत्पाद के नाम पर घटिया उत्पाद की बिक्री करने, निर्धारित दर से अधिक राशि लेने की शिकायतें प्राप्त होती है। साथ ही पेट्रोल पम्पों पर अपेक्षित सुविधाएँ जैसे महिला एवं पुरूषों के लिए अलग–अलग साफ शौचालय, पीने का पानी, वाहनों में हवा आदि उपलब्ध नही कराये जाने की भी शिकायतें प्राप्त हाती है। प्रसंगाधीन पत्र द्वारा पेट्रोल में किरासन तेल मिलावट एवं पेट्रोल पम्पों द्वारा पेट्रोल एवं डीजल का तौल कम करने तथा अपमिश्रण की जॉच हेतु निदेश दिया गया है, परन्तु अपेक्षित परिणाम का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है।

विदित हो कि पेट्रोल पम्पों द्वारा किये जाने वाले अनाचार (Malpractices) को रोकने हेतु "Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005" आदेश निर्गत है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अनाचार (Malpractices) यथा – अपमिश्रण (Adulteration) चोरी (Pilferage). भंडार अंतर (Stock Variation), अप्राधिकृत विनिमय (Unauthorised Exchange), अप्राधिकृत क्रय (Unauthorised Purchases) अप्राधिकृत विक्रय (Unauthorised Sale). अप्राधिकृत कब्जा (Unauthorised Possession). अतिप्रभार

(Over Charging), अविनिर्देशगत उत्पादों का विक्रय (Sale of off specification product), परिदान की कमी (Short Delivery) पाये जाने तथा अप्राधिकृत व्यक्ति /कारोबारी द्वारा पेट्रोल एवं डीजल का व्यापार / बिक्री किये जाने पर दोषी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु 22 पदाधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त तेल विपणन कंपनी (OMC) द्वारा "Marketing Discipline Guidelines 2012" भी निर्गत किया गया है, **जिसके अंतर्गत पेट्रोल पम्पों द्वारा अनियमितता/निर्धारित मापदंड यथा स्वच्छ शौचालय/हवा/पीने का पानी की व्यवस्था नहीं रहने**, निर्धारित मात्रा से कम पेट्रोल/डीजल देने/निर्धारित दर से अधिक कीमत लेने एवं मिलावटी उत्पाद की बिक्री का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित OMC (Oil Marketing Companies) द्वारा आर्थिक दंड, तेल की आपूर्ति एवं वितरण को निलंबित करने एवं डीलरशीप को रद्द करने की कार्रवाई की जाती है।

पेट्रोल पम्पों का नियमित निरीक्षण जिला के प्राधिकृत पदाधिकारियों से कराया जाना आवश्यक है। इस निमित एक जाँच दल का गठन किया जाय जिसमें माप तौल विभाग के पदाधिकारी/निरीक्षक को रखा जाए तथा संलग्न विहित प्रपत्र में पेट्रोल पम्प का निरीक्षण कराया जाय। निरीक्षण के क्रम में फिल्टर टेस्ट (Filter Test), घनत्व जाँच (Density Test) तथा अपमिश्रण (Adulteration) की जाँच करने हेतु पेट्रोल/डीजल का नमूना लेने की प्रक्रिया भी इस पत्र के साथ संलग्न किया जाता है। जिला में पदस्थापित तेल कम्पनी के जिला समन्वयक पदाधिकारी से इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त किया जा सकता है एवं उनसे पेट्रोल एवं डीजल का नमूना लेने हेतु आवश्यक मात्रा में एल्युमिनियम कंटेनर, वुडेन बॉक्स, प्लास्टिक सील, सीलिंग वायर एवं प्लायर आदि प्राप्त किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि पेट्रोल/डीजल का लिये गये नमूना को दस दिनों के अंदर ही तेल कम्पनी के रिफाईनरी/जाँच केन्द्रों पर भेजा जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि संलग्न विहित प्रपत्र में प्राधिकृत पदाधिकारियों से पेट्रोल पम्पों की सतत जांच/निरीक्षण कराया जाय। निर्धारित मापदंडो का उल्लघंन/अनाचार आदि पाये जाने की स्थिति में छोटी–छोटी अपराधों के लिए "Marketing Discipine Guidelines 2012" के तहत कार्रवाई करने हेतु संबंधित तेल विपणन कंपनी को निदेशित करते हुए कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन (Action Taken Report) भी प्राप्त करने तथा वृहद अपराध यथा पेट्रोल/डीजल में मिलावट, निर्धारित मात्रा से कम देने, निर्धारित दर से अधिक लेने, ब्रांडेउ उत्पाद के स्थान पर घटिया उत्पाद देने, अप्राधिकृत क्रय, अप्राधिकृत विक्रय, अप्राधिकृत भंडारण, अप्राधिकृत विनियम, अप्राधिकृत कब्जा आदि के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनु– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र07,एल0पी0जी0(विविध)–01 / 2024 खाद्य, पटना / दिनांक–

प्रतिलिपि– अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), पटना / विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बिहार एवं अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र07,एल0पी0जी0(विविध)–01 / 2024 खाद्य, पटना / दिनांक–

प्रतिलिपि– राज्य स्तरीय संयोजक–सह–महाप्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0, लोकनायक जयप्रकाश भवन, डाकबंगला चौक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Signed by
Upendra Kumar
Date: 27-12-2024 15:31:46
सरकार के अपर सचिव।